19/11/24 पत्रावली पेश में ली गई। उभयपक्ष उपस्थित। अप्रार्थी द्वारा वकालतनामा और जवाब पेश कर बहस के लिए निवेदन किया। उभयपक्ष बहस को सुना गया। प्रार्थी ने दौराने बहस अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि प्रार्थिया वादग्रस्त भूमि में सहखातेदार है और कब्जाकाश्त के अनुसार अच्छी में से अच्छी और बुरी में से बुरी किस्म अनुसार खातेदार विभाजन करवाना चाहती है। अप्रार्थीया द्वारा अपने जवाब में अंकित कथनों का दोहराव किया कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीया व अप्रार्थीया के संयुक्त खाते में है। अभी तक दोनों के मध्य कोई खातेदार विभाजन नहीं हुआ है और ना ही प्रार्थीया के कब्जा काश्त में है। अतः प्रार्थीया को कोई असुविधा नहीं हो रही है और ना ही अपूर्णीय क्षति हो रही है। इस कारण से प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं बनता है और प्रार्थीया किसी प्रकार का अनुतोष पाने की अधिकारी नहीं है और संयुक्त भूमि में प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच भूमि पर जब तक धारा 53 के अनुसार पक्षकारों के मध्य विभाजन नहीं हो जाता है तब तक कब्जा माना जायेगा। अतः एक सहखातेदार दूसरे सहखातेदार के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई अस्थायी निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी नहीं है।

उभयपक्ष की बहस उपरान्त बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत खातेदार [illegible] अवलोकन किया गया। अप्रार्थी संख्या [illegible] में यह स्वीकार किया है कि अप्रार्थी संख्या [illegible] के मध्य भूमि किस्म अनुसार रास्ता खाता को ध्यान में रखकर विभाजन किया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 1 को ऐतराज नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.12.11 10:34:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रार्थी संख्या 03 ने भी प्रार्थना पत्र की मद संख्या 7 में यह स्पष्ट स्वीकार किया है कि प्रार्थिया सहखातेदार है इसलिए विधिक विभाजन कराने की अधिकारी है। चूंकि प्रार्थिया व अप्रार्थीगण दोनों ही एक बिन्दु पर सहमत हैं कि दोनों ही संयुक्त खाते में सहखातेदार हैं और विधिक प्रावधानोनुसार विवादित भाराजी का बंटवारा करना चाहती है। प्रार्थिया को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया था कि विवादित आराजी का बेचान ना करे और मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। उभयपक्षों की बहस और अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थी भूमि का बेचान / विक्रय का उल्लेख अपने जवाब में कहीं भी नहीं किया है अपितु मद संख्या 3 की आखिरी पंक्तियों में विभाजन पर सहमति प्रदान की है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थिया के पक्ष में नहीं बनता है; और इसी कारण से अपूरणीय क्षति का भी अंदेशा नहीं है। चूंकि दोनों पक्षों के मध्य भूमि के हक अधिकारों को लेकर विवाद की स्थिति है; इसलिए दोनों पक्षों के मध्य तनाव की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः दोनों पक्षों को स्वतंत्र छोड़ना भी उचित नहीं है।

उक्त विवेचन के आधार पर यह न्यायोचित प्रतीत होता है कि मूल दावे के निस्तारण तक उभयपक्ष को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उभयपक्ष मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 1/11/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.12.11 10:34:14 IST
Reason: SelfAttested

1/11/24

Scanned with CamScanner